

NR 01 206883773117, 1018003

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) वाराणसी ।

वाद संख्या  
केवला देवी

66

सन् 2013

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

आराजी मौजा देलहना परगना देहात अमानत

तहसील व जिला वाराणसी ।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में केवला देवी पत्नी हूबनरायन सिंह निवासिनी ग्राम भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2013 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० पर तहसीलदार सदर वाराणसी से निर्धारित प्रारूप पर आख्या आहूत की गयी । तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० से विधिवत परीक्षण कराकर उनकी जांच आख्या क्रमशः दिनांक 15/16/18-02-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 19.02.2013 को अग्रसारित करते हुए अपनी आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम देलहना परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के आ० न० 736 रकबा 0.203 हे०, भूमि सरकारी अभिलेख में केवला देवी पत्नी हूब नारायन के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है । उक्त भूमि पर भवन निर्माणाधीन है व चहारदिवारी से घिरी है एवं भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी फ० वर्ष 1416-1421 एवं तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० की जांच आख्या क्रमशः दिनांक 15/16/18-02.2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 19.02.2013 का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संदर्भगत प्रकरण में आवेदिका केवला देवी पत्नी हूबनरायन निवासिनी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी स्थित आ० न० 736 रकबा 0.203 हे०, भूमि राजस्व अभिलेखों में संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है । उक्त भूमि पर भवन निर्माणाधीन है एवं चहारदिवारी से घिरी है । भूमि पर कृषि का उपयोग नहीं हो रहा है ।

अतः मौजा देलहना परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी में स्थित आ० न० आ० न० 736 रकबा 0.203 हे०, भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है । इस आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर/उप निबन्धक वाराणसी को प्रेषित किया जाए । तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

इ.प.स. प्रमाण  
22/2/13  
अहमद  
अहमद



22/2/13  
(अरुण कुमार शुक्ल)  
उपजिलाधिकारी सदर  
वाराणसी ।

NR 01 206883773117/1018002

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) वाराणसी ।

वाद संख्या 65  
अनिल सिंह

सन् 2013


बनाम सरकार  
अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम  
आराजी मौजा देलहना परगना देहात अमानत  
तहसील व जिला वाराणसी ।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में अनिल सिंह पुत्र हूबनरायन सिंह निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2013 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० पर तहसीलदार सदर वाराणसी से निर्धारित प्रारूप पर आख्या आहूत की गयी । तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखमाल/रा०नि०/ना० तह० से विधिवत परीक्षण कराकर उनकी जांच आख्या क्रमशः दिनांक 15/16/18-02-2013 गय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 19.02.2013 को अग्रसारित करते हुए अपनी आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम देलहना परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के आ० न० 737 रकबा 0.242 हे०, भूमि सरकारी अभिलेख में अनिल सिंह पुत्र हूबनरायन के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर भवन निर्माणाधीन है व चहारदिवारी से घिरी है एवं भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी फ० वर्ष 1416-1421 एवं तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० की जांच आख्या क्रमशः दिनांक 15/16/18-02. 2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 19.02.2013 का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि रांदर्भगत प्रकरण में आवेदक अनिल सिंह पुत्र हूबनरायन निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी स्थित आ० न० 737 रकबा 0.242 हे०, भूमि राजस्व अभिलेखों में संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर भवन निर्माणाधीन है एवं चहारदिवारी से घिरी है । भूमि पर कृषि का उपयोग नहीं हो रहा है ।

अतः मौजा देलहना परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी में स्थित आ० न० आ० न० 737 रकबा 0.242 हे०, भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है । इस आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर/उप निबन्धक वाराणसी को प्रेषित किया जाए । तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।



*(अरुण कुमार शुक्ल)*  
20/2/13  
उपजिलाधिकारी सदर  
वाराणसी ।

*अनिल सिंह*  
20/2/13  
*अरुण कुमार शुक्ल*

NR 01 206883773117, 101800

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) वाराणसी ।

वाद संख्या 64  
सन्त कुमार


सन् 2013  
बनाम सरकार  
अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम  
आराजी मौजा देलहना परगना देहात अमानत  
तहसील व जिला वाराणसी ।  
आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में सन्त कुमार पुत्र हूबनरायन सिंह निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2013 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० पर तहसीलदार सदर वाराणसी से निर्धारित प्रारूप पर आख्या आहूत की गयी । तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० से विधिवत परीक्षण कराकर उनकी जांच आख्या क्रमशः दिनांक 15/16/18-02-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 19.02.2013 को अग्रसारित करते हुए अपनी आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम देलहना परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के आ० न० 738 रकबा 0.237 हे०, भूमि सरकारी अभिलेख में सन्त कुमार पुत्र हूबनरायन के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि चहारदिवारी से घिरी है एवं कृषि कार्य नहीं किया जाता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी फ० वर्ष 1416-1421 एवं तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० की जांच आख्या क्रमशः दिनांक 15/16/18-02-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 19.02.2013 का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संदर्भगत प्रकरण में आवेदक सन्त कुमार पुत्र हूबनरायन निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी स्थित आ० न० 738 रकबा 0.237 हे०, भूमि राजस्व अभिलेखों में संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि चहारदिवारी से घिरी है एवं भूमि पर कृषि का उपयोग नहीं हो रहा है ।

अतः मौजा देलहना परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी में स्थित आ० न० आ० न० 738 रकबा 0.237 हे०, भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है । इस आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर/उप निबन्धक वाराणसी को प्रेषित किया जाए । तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

द्वारा प्रतीक प्रमाणित  
22/2/13



(अरुण कुमार शुक्ल)  
उपजिलाधिकारी सदर  
वाराणसी ।

22/2/13  
उपजिलाधिकारी/सदर  
वाराणसी

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) वाराणसी।

वाद संख्या 115  
भागवत

सन् 2013

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

आराजी मौजा देलहना परगना देहात अमानत

तहसील व जिला वाराणसी।

**आदेश**

प्रश्नगत प्रकरण में भागवत पुत्र हूबनारायण सिंह निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.04.2013 अन्तर्गत धारा ज०वि०अधि० पर तहसीलदार सदर वाराणसी के निर्धारित प्रारूप पर आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना०तह० से विधिवत परीक्षण कराकर उनकी जांच आख्या क्रमशः दिनांक-12/13/14-05-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 25.05.2013 को अग्रसारित करते हुए अपनी आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम देलहना परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के आ० नं० 739 रकबा 0.139 हे०, भूमि सरकारी अभिलेख में भागवत पुत्र हूबनारायण सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि चहारदिवारी से घिरी है व निर्माण किया गया है, एवं कृषि कार्य नहीं किया जाता है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी फ० वर्ष 1416-1421 एवं तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० की जांच आख्या क्रमशः दिनांक 12/13/14-05-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 25.05.2013 का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संदर्भगत प्रकरण में आवेदक भागवत पुत्र हूबनारायण सिंह निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी स्थिति आ०नं० 739 रकबा 0.139 हे०, भूमि राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि चहारदिवारी से घिरी है एवं भूमि पर कृषि का उपयोग नहीं हो रहा है।

अतः मौजा देलहना परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी में स्थित आ० नं० 739 रकबा 0.139 हे०, भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर/उप निबन्धक वाराणसी को प्रेषित किया जाए। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



for

(अरुण कुमार शुक्ल)

उपजिलाधिकारी सदर

वाराणसी।

25/5/13